रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240509 CG-DL-E-23112022-240509

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5207] No. 5207] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/ अग्रहायण 2, 1944 NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/ AGRAHAYANA 2, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 2022

का.आ. 5436(अ).—केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन के लिए काण्डला (गुजरात) से गोरखपुर (उ०प्र०) एल०पी०जी० पाइपलाइन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु आई॰एच॰बी॰ लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाई जाना आवश्यक है।

केन्द्रीय सरकार को ऐसी पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसके भीतर उक्त पाइपलाइन बिछाई जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे वर्णित है, में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि मे उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) की धारा 3 कि उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना में युक्त भारत के राजपत्र की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाये जाने हेतु उसमें उपयोग के अधिकार के संबंध में श्री राकेश कुमार सक्षम प्राधिकारी आई॰एच॰बी॰ लिमिटेड, काण्डला-गोरखपुर एल०पी०जी० पाइपलाइन परियोजना (के०जी०पी०एल०), प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

7780 GI/2022 (1)

अनुसूची

जिला : जौनपुर		राज्य : उत्तर प्रदेश				
तहसील	गाँव	सर्वे नं		क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर-	आर-	वर्गमीटर	
1	2	3	4	5	6	
केराकत	परसौड़ी	120	00	01	10	
		121	00	03	02	
		122	00	00	11	
		186	00	00	07	
केराकत	बरइछ	256	00	00	59	
		254	00	01	21	
केराकत	मढ़ी	1342	00	02	41	
		496	00	06	18	
		548	00	00	79	
		588	00	01	51	
		1389	00	01	46	
केराकत	हिसामपुर	178	00	00	11	
		500	00	01	80	
		499	00	03	14	
		467	00	00	67	
		470	00	00	96	
		79	00	00	39	
		81	00	00	91	
केराकत	बोदरी	348	00	03	58	
		169	00	01	28	
केराकत	तरांव	1657	00	02	10	
		1658	00	00	58	
		1665	00	00	34	
		1641	00	01	20	
		1614	00	00	46	
केराकत	करनेहुवाउचेंहुआ	993	00	00	68	
		992	00	00	68	
		935	00	01	76	
		928	00	02	74	

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS NOTIFICATION

New Delhi, the 21st November, 2022

S.O. 5436(E).—Whereas, it appears to the Central Government, that it is necessary in the public interest that for the transportation of the petroleum product in the state of Uttar Pradesh Pipeline should be laid for implementing of Kandla to Gorakhpur LPG Pipeline Project by the IHB Limited.

And whereas, it appears to the Central Government that for the purpose of laying the said pipeline. It is necessary to acquire the right of user (ROU) in the land under which the said pipeline is proposed to be laid, and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 3 of the petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of user in Land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user there in;

Any person interested in the land described in the said schedule may submit objection in writing to Shri Rakesh Kumar, Competent Authority, IHB Limited Kandla-Gorakhpur LPG Pipeline (KGPL), Prayagraj (UP) within twenty one days from the date on which the copies of the notification Issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act as published in the Gazette of India are made available to the general public.

SCHEDULE

District : Jaunpur		State : Uttar Pradesh				
T-1-21	Village	Survey No.	Area			
Tehsil			Hect	Are -	Sq. mtr.	
1	2	3	4	5	6	
Kerakat	Parsaudi	120	00	01	10	
		121	00	03	02	
		122	00	00	11	
		186	00	00	07	
Kerakat	Baraichh	256	00	00	59	
		254	00	01	21	
Kerakat	Madhi	1342	00	02	41	
		496	00	06	18	
		548	00	00	79	
		588	00	01	51	
		1389	00	01	46	
Kerakat	Hisampur	178	00	00	11	
		500	00	01	80	
		499	00	03	14	
		467	00	00	67	
		470	00	00	96	
		79	00	00	39	
		81	00	00	91	
Kerakat	Bodari	348	00	03	58	
		169	00	01	28	

4	THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY				[PART II—SEC. 3(ii)]	
Kerakat	Taranv	1657	00	02	10	
		1658	00	00	58	
		1665	00	00	34	
		1641	00	01	20	
		1614	00	00	46	
Kerakat	KarnehuaUchehua	993	00	00	68	
		992	00	00	68	
		935	00	01	76	
		928	00	02	74	

[F. No. R-11025(15)/6/2020-OR-I/E-33882] P. SOMAKUMAR, Under Secy.